कार्यालय सेवा प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
सहारनपुर क्षेत्र।

पत्रांक 598 एल/से0प्र0/स0पुर/संचालन/स्टाफकार/टेण्डर/18 दिनाँक– 02.04.2018

टेण्डर–सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रबन्ध निदेशक महोदय के कार्यालय आदेश संख्या 5990 दिनाँक 03.02.2012 एवं निगम मुख्यालय, लखनऊ के आदेश संख्या 6776 दिनाँक 03.04.2012 के अनुपालन में मासिक किराये के आधार पर टैक्सी वाहनों को सम्बद्ध करने परिपेक्ष में कार्यालय सेवा प्रबन्धक, सहारनपुर हेतु एक टाटासूमो/ महिन्द्रा बोलेरो अथवा इनके समकक्ष अन्य छोटी वाहनें (टैक्सी) की आवश्यकता है।

स्टाफकार के अनुबन्ध की शर्तें निम्नवत् होगी–

1. आलोच्य वाहन का उपयोग सेवा प्रबन्धक एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार किया जायेगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा टाटासूमो/ महिन्द्रा बोलेरो अथवा इनके समकक्ष अच्छी दशा की वाहन उपलब्ध करानी होगी।
3. वाहन तीन वर्ष के लिये अनुबन्ध की जायेगी अनुबन्ध की जाने वाली वाहन की आयु, अनुबन्ध की अवधि में अधिकतम 5 वर्ष (कमीशन की तिथि से) की होनी चाहिये।
4. अनुबन्ध की जाने वाली वाहन टैक्सी परमिट से आच्छादित होनी चाहिए।
5. वाहन से मासिक 2000 किलोमीटर संचालित कराया जा सकेगा तथा रूपये 30000/– किराया भुगतान किया जायेगा जिसमें ईंधन, चालक का वेतन/भत्ता, वाहन की मरम्मत, बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस, परमिट, सर्विस टैक्स एवं अन्य सभी कर निविदाकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।
6. वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना होने तथा वाद उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
7. वाहन का माइलोमीटर प्रमाणित एवं चालू हालत में होना चाहिए।
8. निविदाकर्ता द्वारा लगाये गये वाहन के खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर निविदाकर्ता द्वारा स्थानापन्न दूसरा वाहन सम्बन्धित निगम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. निविदाकर्ता द्वारा सम्बद्ध किये गये वाहन के चालक का पूर्ण विवरण, आवासीय पता, मोबाइल फोन नम्बर, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमाणित फोटोप्रति सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
10. निविदाकर्ता अथवा चालक को किसी प्रकार का कोई अग्रिम धन देय नहीं होगा।
11. वाहन का अनुबन्ध 3 वर्षो हेतु किया जायेगा तथा 3 वर्ष की अवधि संतोषजनक पूर्ण होने पर अनुबन्ध आगामी 2 वर्षो के लिए समान नियम एवं शर्तो पर आगे बढाया जा सकता है किन्तु अनुबन्ध की अवधि में वाहन की आयु अधिकतम् 5 वर्ष (कमीशन तिथि से) ही होगी।
12. किराये पर ली गयी वाहन की लॉग बुक में यात्रा का विवरण अंकित किया जायेगा तथा सत्यापन उपरान्त मासिक आधार पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापन उपरान्त क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा परीक्षणोपरान्त बिल की धनराशि का निगम मुख्यालय लखनऊ से भुगतान प्राप्त कर किया जायेगा। बिल की धनराशि से नियमानुसार आयकर एवं सरचार्ज की कटौती कर काटी गयी धनराशि को आयकर विभाग में जमा करके प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
13. 2000 किमी0 मासिक से अधिक वाहन यदि संचालित करायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा संचालन

क्रमशः 2 पर ....

Downloaded from www.upsrtc.com

हेतु पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए उसका अनुमोदन अपर प्रबन्ध निदेशक महोदय से प्राप्त किया जायेगा तथा तदानुसार भुगतान देय होगा।

14. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाएं संतोषजनक न पाये जाने पर परिवहन निगम द्वारा किसी भी समय अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।
15. यदि वाहन स्वामी द्वारा अनुबन्ध की किसी शर्त/शर्तों का उलंघन किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी की संस्तुति पर तत्काल अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है जिसमें प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं अग्रिम वाहन की व्यवस्था होने तक नोटिस अवधि (3 माह) में दैनिक कटौती लम्बित देयकों से कर ली जायेगी।
16. वाहन के अनुबन्ध के समय निविदाकर्ता को प्रतिभूति रूपये 5000.00 (रूपये पांच हजार मात्र) जमा करनी होगी। प्रतिभूति की धनराशि अनुबन्ध की संतोषजनक समाप्ति के उपरान्त कोई विभागीय देयता न होने की दशा में बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

टेण्डर डालने की अन्तिम तिथि/समय–	10.04.2018 अपरान्ह 14:00 बजे।
टेण्डर खोलने की तिथि/समय–	10.04.2018 अपरान्ह 15:00 बजे।
टेण्डर फीस–	रूपये 200.00+ 18 जीएसटी = 236.00

जो निविदाकर्ता ऑन लाइन/निविदा डालते हैं उनको टेण्डर/निविदा फीस रूपये 236.00 टेण्डर/निविदा खोलने की तिथि से पूर्व कार्यालय सेवा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, सहारनपुर में जमा कराना अनिवार्य होगा।

सेवा प्रबन्धक
सहारनपुर।

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त टेण्डर सूचना को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
2. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त)/सहायक लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर।
3. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/छुटमलपुर/खतौली/गंगोह/शामली डिपो को इस अनुरोध के साथ कि उक्त टेण्डर सूचना को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
4. नोटिस बोर्ड सेवा प्रबन्धक कार्यालय सहारनपुर।
5. ऑफर निगम की बेबसाइट पर अंकित करने हेतु email id tender@upsrtc.com के माध्यम से परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को सादर प्रेषित।

सेवा प्रबन्धक
सहारनपुर।

Downloaded from www.upsrtc.com

:: निविदा फार्म ::

1. निविदा दाता का नाम :..
2. निविदा दाता के पिता का नाम :...
3. निविदा दाता का स्थाई पता :..
4. निविदा दाता का वर्तमान पता :..
5. निविदा दाता का मोंबाइल नम्बर :..
6. निविदा दाता का आधार नम्बर :..
7. निविदा दाता का पेन नम्बर :..
8. वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर :...
9. वाहन का मेक/मॉडल :...
10. वाहन की कमीशन तिथि :..
11. वाहन के बीमे की वैधता :...
12. वाहन का टैक्सी परमिट संख्या :..
13. वाहन की फिटनेस की वैधता :...
14. वाहन के टैक्स सम्बन्धी विवरण :...

....

PASSPORT SIZE PHOTO

(उपरोक्त सभी प्रपत्रों की छायाप्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न करें।)

निविदादाता के हस्ताक्षर

Downloaded from www.upsrtc.com